



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के द्वारा आपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 22000 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.12.2022 को वादी की तहरीर पर थाना स्वार पर मु०अ०सं०- 524/2022 धारा- 363,506,3/4 पॉक्सो एक्ट व 376(3) भादवि बनाम रोबट पुत्र ज्ञानी नि० शिकारपुर थाना स्वार, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 24.11.2023 को मा० न्यायालय ADJ-6, रामपुर द्वारा अभियुक्त रोबट पुत्र ज्ञानी उपरोक्त को **20 वर्ष का कठोर कारावास व 22000 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजा का विवरण:-

अभियुक्त रोबट पुत्र ज्ञानी उपरोक्त को **20 वर्ष का कठोर कारावास व 22000 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

रोबट पुत्र ज्ञानी नि० शिकारपुर थाना स्वार, रामपुर